पुनरीक्षण फौजदारी

माननीय न्यायमूर्ति गोपाल सिंह के समक्ष

मोहिंदर सिंह साहनी, - *याचिकाकर्ता।*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, *उत्तरदाता।*

1969 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 923।

27 मई, 1970।

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 *का v) - धारा* 540 - *पुलिस रिपोर्ट पर चोट पहुंचाने वाले मामले में अभियोजन - मामले का संचालन करने वाले लोक अभियोजक - घायल शिकायतकर्ता - क्या राज्य द्वारा जांच किए गए गवाहों के अलावा किसी अन्य प्रत्यक्षदर्शी को पेश करने पर जोर देने का अधिकार है।*

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां घायल शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद राज्य की ओर से रखी गई पुलिस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और राज्य की ओर से मामला लोक अभियोजक द्वारा संचालित किया जा रहा है, शिकायतकर्ता, हालांकि एक घायल व्यक्ति है, राज्य की ओर से जांच किए गए चश्मदीद गवाहों के अलावा चश्मदीद गवाह के रूप में पेश होने के लिए अभियोजन पक्ष पर जोर नहीं दे सकता है और न ही थोप सकता है। यह अभियोजन पक्ष के मामले के प्रभारी अभियोजक के विवेक पर निर्भर करता है जब राज्य का प्रतिनिधित्व करते समय किसी घायल व्यक्ति या पीड़ित शिकायतकर्ता द्वारा इंगित गवाह को तलब करना या नहीं बुलाना है। शिकायतकर्ता को किसी व्यक्ति विशेष को गवाह के रूप में तलब करने के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है।

(पैरा 5)।

सीआरपीसी संहिता की धारा 439 *के तहत सिरी सालिग राम बख्शी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला के 16 तारीख के आदेश में पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर की गई है।*

सितम्बर, 1969 को अंबाला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जेसी *नागपाल द्वारा लेफ्टिनेंट सी नागपाल को तलब करने के आवेदन को खारिज करते हुए 14 मार्च, 1969 को अंबाला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट* ने लेफ्टिनेंट जनरल सी *नागपाल को न्यायालय के गवाह के रूप में तलब करने के आवेदन को खारिज कर दिया।*

मोहिंदर सिंह, याचिकाकर्ता (व्यक्तिगत रूप से)।

डी. डी. जैन, अधिवक्ता महान्यायविद हरियाणा के लिए

हरभगवान आर्या, प्रतिवादी संख्या 2 (व्यक्तिगत रूप से), खुद के लिए और 7 अन्य उत्तरदाताओं के लिए नंबर 3 से 9।

निर्णय

गोपाल सिंह न्यायमूर्ति _ यह याचिका मोहिंदर सिंह याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य और हरभगवान आर्य और सात अन्य आरोपियों के खिलाफ 16 सितंबर, 1969 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री एसआर बख्शी के आदेश से पुनरीक्षण याचिका है, जिसमें अंबाला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जेसी नागपाल के 14 मार्च, 1969 के आदेश की पुष्टि की गई है। याचिकाकर्ता के आवेदन पर सी. एल. शर्मा को अदालत के गवाह के रूप में बुलाने से इनकार करना।

2. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को जन्म देने वाले तथ्य निम्नानुसार हैं:-

हरभगवान और सात अन्य आरोपियों को पुलिस ने याचिकाकर्ता को चोट पहुंचाने और भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 342 के तहत उसे गलत तरीके से कैद करने के लिए चालान किया था। चालान 4 अक्टूबर, 1966 को अदालत में पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में निम्नलिखित चार चश्मदीद गवाह पेश किए गए थे:-

(1) मोहिंदर सिंह घायल (याचिकाकर्ता)।

(2) श्रीमती । आज्ञा कौर। .

(3) बंसी लाई।

(4) सुरजीत सिंह।

3. चश्मदीद गवाहों की गवाही 28 दिसंबर, 1968 को पूरी हो गई थी। 11 फरवरी, 1969 को, याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में सी एल शर्मा को अदालत के गवाह के रूप में तलब करने के लिए आवेदन दिया, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने भी इस घटना को देखा था। उनका आवेदन खारिज कर दिया गया है और उनकी पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

अस्वीकृति के आदेश के बाद मोहिंदर सिंह ने उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का हवाला दिया है।

राज्य की ओर से पेश श्री डीडी जैन द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिकाकर्ता, जो केवल एक प्रत्यक्षदर्शी है, को पुनरीक्षण के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है, और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, सी एल शर्मा को अदालत के गवाह के रूप में तलब करने से इनकार करने वाले दो न्यायालयों के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है।

5. मोहिंदर सिंह याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा मामले की जांच किए जाने के बाद राज्य की ओर से लगाई गई पुलिस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राज्य इस मामले में मुकदमा चला रहा है। राज्य की ओर से मामले का संचालन अभियोजन उप-निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है। मोहिंदर सिंह, हालांकि एक घायल व्यक्ति है, राज्य की ओर से जांच किए गए प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा एक प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पेश होने के लिए अभियोजन पक्ष पर जोर नहीं दे सकता है और न ही थोप सकता है। यह अभियोजन पक्ष के मामले के प्रभारी अभियोजक के विवेक पर निर्भर करता है जब राज्य का प्रतिनिधित्व करते समय किसी घायल व्यक्ति या पीड़ित शिकायतकर्ता द्वारा इंगित गवाह को तलब करना या नहीं बुलाना है। उसके द्वारा दायर निजी शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता की स्थिति अलग है। वर्तमान मामला एक निजी शिकायत का नहीं है। राज्य की उपस्थिति में, याचिकाकर्ता को किसी विशेष व्यक्ति को गवाह के रूप में तलब करने के लिए आवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। उस आवेदन में दिए गए आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए उनके द्वारा दायर संशोधन की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। यह याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 16 सितंबर, 1969 के आदेश से दायर की गई है। पुनरीक्षण याचिका में, जिसे याचिकाकर्ता ने उस आदेश को लागू करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास दायर किया था, उन्होंने राज्य को एक पक्ष के रूप में शामिल

नहीं किया। याचिकाकर्ता ने राज्य की अनुपस्थिति में उस आदेश को प्राप्त कर लिया है, वह पुनरीक्षण याचिका में राज्य को पक्षकार बनाकर इससे बचने की कोशिश नहीं कर सकता है, जिसे उसने अब उच्च न्यायालय में दायर किया है।

6. गुण-दोष के आधार पर भी, सीएल शर्मा को अदालत के गवाह के रूप में तलब करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार, वह पांचवें चश्मदीद गवाह होंगे। याचिकाकर्ता ने खुद इस घटना के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उस रिपोर्ट में, उन्होंने सी.एल. शर्मा को चश्मदीद गवाहों में से एक के रूप में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है। गवाही में, न तो याचिकाकर्ता खुद और न ही अन्य तीन में से कोई भी

जिन गवाहों से पूछताछ की गई है, उनमें याचिकाकर्ता बंसी लाई की पत्नी आज्ञा कौर और सुरजीत सिंह ने सी.एल.शर्मा को चश्मदीद गवाह के रूप में नामित किया है। याचिकाकर्ता ने सी. एल. शर्मा को चश्मदीद गवाह के रूप में तलब किए जाने के औचित्य के लिए पुलिस निरीक्षक करम सिंह के साक्ष्य पर भरोसा किया है। करम सिंह ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने मामले की जांच में सीएल शर्मा का साथ दिया। करम सिंह यह बिल्कुल नहीं बताते हैं कि सी. एल. शर्मा इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे।

7. किसी गवाह को धारा 540, गैर-आपराधिक संहिता के तहत अदालत के गवाह के रूप में अदालत द्वारा अपने विवेक से तलब किया जा सकता है। न्यायालय को प्रदत्त शक्ति अनिवार्य रूप से विवेकाधीन है और इसका उपयोग तब किया जाना चाहिए जब न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि तलब किए जाने वाले गवाह के साक्ष्य मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक हैं। याचिकाकर्ता ने खुद, जैसा कि ऊपर बताया है, न तो उनके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में और न ही मुकदमे में उनके बयान में और न ही उनकी पत्नी आज्ञा कौर ने सी. एल. शर्मा को चश्मदीद गवाह के रूप में नामित किया है। इसी तरह, अन्य दो चश्मदीद गवाह, बंसी लाई और सुरजीत सिंह, जिन्हें स्वतंत्र गवाह कहा जाता है और जिन्होंने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया है, अन्य दो गवाहों की तरह, सीएल शर्मा के घटना के गवाह होने का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि किसी भी और हर गवाह, जिससे घायल शिकायतकर्ता पूछताछ करना चाहता है, से मुकदमे में पूछताछ की जानी चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा किया गया आवेदन, जो मामले में केवल अभियोजन पक्ष का गवाह है, खारिज किए जाने के योग्य है।

परिणामस्वरूप, पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और अस्वीकार कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आकाश सरोहा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा